अध्याय–4: मदिरा का मूल्य निर्धारण

4.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) एवं बीयर की एक्स–डिस्टिलरी प्राइस (ई0डी0पी0)/ एक्स–ब्रिवरी प्राइस (ई0बी0पी0) का विवेकाधीन निर्धारण

वर्ष 2008 से 2018 की आबकारी नीति द्वारा ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 का निर्धारण आसवनियों एवं यवासवनियों के विवेक पर छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में आसवनियों/ यवासवनियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0)/ बीयर की ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 का अधिक निर्धारण किया गया। उत्तर प्रदेश की नमूना जाँच की गयी आसवनियों/ यवासवनियों की समरूप तथा समान ब्राण्डों की भा0नि0वि0म0/ बीयर की ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 की तुलना पड़ोसी राज्यों से किये जाने पर उजागर हुआ कि ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 के अधिक निर्धारण के कारण उपभोक्ताओं तथा राजकोष की कीमत पर वर्ष 2008 से 2018 के दौरान आसवनियों/ यवासवनियों, थोक विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं को ₹ 7,168.63 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

उचित दाम पर मदिरा की उपलब्धता तथा मदिरा की बिक्री से पर्याप्त राजस्व प्राप्ति, दोनों सुनिश्चित करने हेतु ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 की गणना, आबकारी विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मदिरा के मूल्य निर्धारण (एम0आर0पी0 की गणना) के मुख्य घटकों को **तालिका–4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका–4.1

क्र0सं0	घटक	गणना का आधार
1	एक्स डिस्टिलरी प्राइस/ एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0)	ई0डी0पी0 एवं ई0बी0पी0 ऐसा मूल्य होता है जिसपर निर्माताओं द्वारा थोक विक्रेताओं को आबकारी शुल्क, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन को जोड़ने के पूर्व क्रमशः भा0नि0वि0म0[1] तथा बीयर[2] की आपूर्ति की जाती है। ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 आसवनियों/ यवासवनियों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं एवं आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।
2	आबकारी शुल्क	यह राज्य सरकार द्वारा समय समय पर भा0नि0वि0म0/ बीयर के विभिन्न श्रेणियों[3] की ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है।
3	थोक विक्रेता का मार्जिन	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर भा0नि0वि0म0 के विभिन्न श्रेणियों की ई0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में थोक विक्रेता का मार्जिन निर्धारित किया जाता है। बीयर के मामले में विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिन निर्धारित की जाती है।
4	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 + आबकारी शुल्क + थोक विक्रेता का मार्जिन

[1] भा0नि0वि0म0 में, स्प्रिट या भारत निर्मित मदिरा तथा भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग से मेल कराने के लिए परिष्कृत या रंगी गयी मदिरा सम्मिलित है तथा इसमें माल्ट स्प्रिट, विस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, वोदका और मदिरा भी सम्मिलित है।

[2] बीयर में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से निर्मित अन्य सभी किण्वित मदिरा सम्मिलित है जिसकी अल्कोहोलिक ताकत तीन प्रतिशत वाल्यूम बाइ वाल्यूम से आठ प्रतिशत वाल्यूम बाइ वाल्यूम तक हो।

[3] भा0नि0वि0म0 के ई0डी0पी0 तथा बीयर के ई0बी0पी0 तथा तीव्रता के आधार पर।

क्र0सं0	घटक	गणना का आधार
5	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर भा0नि0वि0म0 के विभिन्न श्रेणियों की ई0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में फुटकर विक्रेताओं का मार्जिन निर्धारित किया जाता है। बीयर के मामले में विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिन निश्चित है।
6	अधिकतम विक्रय मूल्य (एम0एस0पी0)	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य + फुटकर विक्रेता का मार्जिन
7	अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी)	ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 + आबकारी शुल्क + थोक विक्रेता का मार्जिन + फुटकर विक्रेता का मार्जिन + ए0ई0डी0 जिसे पाँच रुपये के अगले स्तर पर राउण्ड आफ किया जाता है।
8	अतिरिक्त आबकारी शुल्क (ए0ई0डी0)	एम0आर0पी0 – एम0एस0पी0

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी नीति।

लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी नीतियों की तुलना पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश, साथ ही साथ राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की आबकारी नीतियों तथा आन्तरिक प्रक्रियाओं से की। कुछ राज्यों की आबकारी नीतियों के मुख्य प्रावधानों एवं मानदण्डों की उत्तर प्रदेश की आबकारी नीतियों के प्रावधानों के सम्बन्ध में तुलनात्मक तस्वीर नीचे **तालिका–4.2** में दर्शायी गयी हैः

तालिका–4.2

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में आबकारी नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण				
प्रणाली का विवरण	**उत्तराखण्ड**	**राजस्थान**	**तेलंगाना**	**उत्तर प्रदेश**
आसवनी / यवासवनी द्वारा ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 को प्रस्तावित करने का तरीका।	आसवनियों / यवासवनियों द्वारा आबकारी आयुक्त को सीधे प्रस्तावित किया जाता है।	आसवनियों / यवासवनियों द्वारा राज्य के स्वामित्व की एक कम्पनी राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कारपोरेशन लिमिटेड (आर0एस0बी0 सी0एल0) को सीधे प्रस्तावित किया जाता है।	आसवनियों / यवासवनियों द्वारा राज्य के स्वामित्व की एक कम्पनी तेलंगाना स्टेट बेवरेजेस कारपोरेशन लिमिटेड को सीधे प्रस्तावित किया जाता है।	आसवनी / यवासवनी में तैनात प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से आसवनियों / यवासवनियों द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तावित किया जाता है।
प्रस्तुत की जाने वाली ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 से सम्बन्धित प्रावधान।	पड़ोसी राज्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।	पड़ोसी राज्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।	एक उच्च स्तरीय तीन सदस्यों वाली समिति, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश	वर्ष 2017–18 तक इस प्रकार का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं था।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में आबकारी नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण				
प्रणाली का विवरण	**उत्तराखण्ड**	**राजस्थान**	**तेलंगाना**	**उत्तर प्रदेश**
			अध्यक्ष के रूप में, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा एक वरिष्ठ अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 अधिकारी सदस्यों[4] के रूप में होते हैं, द्वारा दरों को अन्तिम रूप दिया जाता है।	
प्रस्तुत की जाने वाली ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के समर्थन में विस्तृत लागत पत्र[5] की जाँच।	कोई भी विस्तृत लागत पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।	प्रस्तुत की जाने वाली ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के आधार के सम्बन्ध में कोई सन्देह होने पर लागत पत्र की माँग की जाती है।	मूलभूत मूल्य में एक्स फैक्टरी मूल्य, बोतलों की लागत, पैकिंग सामग्री की लागत, भाड़ा, बीमा, हैंडलिंग प्रभार तथा आयात शुल्क यदि कोई हो सम्मिलित होता है।	ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के निर्धारण के लिये इस प्रकार से लागत का विश्लेषण अस्तित्व में नहीं है।
यदि ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आबकारी नीतियों में दण्ड का प्रावधान।	आसवनी / यवासवनी द्वारा जमा प्रतिभूति को जब्त कर लिया जायेगा, अधिक आरोपित की गयी ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 की धनराशि को वसूल किया जायेगा तथा प्रत्येक उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी (आबकारी नीति 2016–17 का प्रस्तर सं0 22)।	ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 को ₹ 500 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाता है। हालाँकि, दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है।	कोई दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है।	वर्ष 2017–18 तक इस प्रकार का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं था।

[4] आपूर्तिकर्ता के साथ समिति कई समझौता वार्ता करती है तथा निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए आधारभूत मूल्यों को प्रस्तावित करती है। समिति के प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जॉच के बाद, निदेशक मण्डल, सरकार के अनुमोदन हेतु सरकार को एक विस्तृत आख्या, टिप्पणियों / संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ प्रेषित करता है।

[5] लागत पत्र में कच्चे माल, ब्लेंडिंग सामग्री, पैकिंग सामग्री, आदि की लागत सम्मिलित होती है।

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि पड़ोसी राज्यों सहित अन्य राज्यों ने नीतिगत हस्तक्षेप (जैसा कि उत्तराखण्ड तथा राजस्थान[6] में) द्वारा अपनी सम्बन्धित आबकारी नीतियों में उपयुक्त दण्डात्मक प्रावधानों[7] को सम्मिलित करके उचित ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अन्य राज्यों जैसे दिल्ली और पंजाब ने अपनी सम्बन्धित आबकारी नीतियों में दण्डात्मक प्रावधानों के न होने के बावजूद ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 को उचित स्तर पर रखने के लिए उचित प्रक्रियात्मक जाँचों को रखा।

विशिष्ट रूप से पड़ोसी राज्यों के ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के निर्धारण के सम्बन्ध में उचित प्रावधानों के तुलनात्मक परिणाम नीचे **तालिका–4.3** में विनिर्दिष्ट हैः

तालिका–4.3

राज्य	ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0
उत्तराखण्ड	समान ब्राण्डों का ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0, दिल्ली / अन्य राज्यों में आपूर्ति होने वाले ब्राण्डों से अधिक नहीं होगी।
दिल्ली	यदि ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 एक निश्चित सीमा से कम है, तो समान ब्राण्डों की ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 शेष भारत में आपूर्ति होने वाले ब्राण्डों से अधिक नहीं होगी। यदि ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 उस सीमा से अधिक है, तो आसवनियाँ / यवासवनियाँ ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 तय करने के लिए स्वतन्त्र है। इसके बावजूद दिल्ली ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 मूल्य को उत्तर प्रदेश की तुलना में कम रखने में कामयाब रहा।
राजस्थान	आर एस बी सी एल ने अपनी नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान रखा है कि समान ब्राण्डों की ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 अन्य राज्यों में आपूर्ति होने वाले ब्राण्डों से अधिक नहीं होगी। संदेह के मामले में, ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 को दर्शाने वाले विस्तृत लागत पत्र को भा0नि0वि0म0 / बीयर की ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
पंजाब	आबकारी नीति में बिना किसी विशिष्ट प्रावधान के पंजाब ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 मूल्य को उत्तर प्रदेश की तुलना में कम रखने में कामयाब रहा।

उपरोक्त तुलना के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 आबकारी विभाग के मैनुअलों, परिपत्रों तथा आबकारी नीतियों की लेखापरीक्षा जाँच ने उजागर किया किः

1. वर्ष 2008–18 के दौरान आबकारी विभाग ने, राजस्थान के विपरीत जहाँ, संदेह के मामले में राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लि0 (पी0एस0यू0) द्वारा सम्बन्धित आसवनी / यवासवनी से अपनी जाँच हेतु भा0नि0वि0म0 / बीयर की उत्पादन के लागत निर्धारण का विवरण माँगा जाता है, एक भी मौके पर आसवनियों और यवासवनियों से लागत निर्धारण का विवरण नहीं माँगा।
2. अग्रेतर, राज्य आबकारी विभाग ने, राजस्थान के विपरीत, जहाँ राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लि0 (आर0एस0बी0सी0एल0) को आसवनी / यवासवनी द्वारा प्रस्तावित ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 को दर्शाने वाले विस्तृत लागत पत्र को

---

6 राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो राज्य में मदिरा की थोक बिक्री के प्रभारी हैं, द्वारा बनायी गयी नीति।

7 उत्तराखण्ड के मामले में दण्डात्मक प्रावधानों में आसवनी / यवासवनी द्वारा जमा प्रतिभूति को जब्त किया जाना, अधिक आरोपित की गयी ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 की धनराशि की वसूली, प्रत्येक उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही, ब्राण्ड को काली सूची में डालना, आदि सम्मिलित हैं।

प्राप्त एवं जाँच करने का अधिकार है, मदिरा के उत्पादन की उचित लागत को जानने के लिए किसी भी उचित जाँच को प्राविधानित नहीं किया।

3. अप्रैल 2018 से राज्य आबकारी विभाग ने अपनी आबकारी नीति में एक आवश्यकता को सम्मिलित किया है जो अनिवार्य रूप से प्राविधानित करती है कि विभाग को ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 प्रस्तुत करते समय आसवनियाँ/ यवासवनियाँ अपने द्वारा नियुक्त एवं भुगतान किये गये एक कास्ट एकाउन्टेंट के द्वारा ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 की सत्यता से सम्बन्धित एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। कास्ट एकाउन्टेंट के प्रमाण पत्र के आधार पर विभाग ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 को अनुमोदित करता है तथा तत्पश्चात आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क तथा थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन निर्धारित करता है।

दूसरे शब्दों में, विभाग या तो स्वयं के द्वारा किसी सहगामी स्वतन्त्र जाँच या किसी स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 के सत्यापन/ गणना के बिना अभी भी कास्ट एकाउन्टेंट के प्रमाण–पत्र पर पूर्णरूप से निर्भर है। इस प्रकार, प्रणाली का अभी भी आसवनियों तथा यवासवनियों द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है।

इस प्रकार अन्य राज्यों की तुलना में राज्य आबकारी नीतियों ने वर्षों से नीति के साथ ही साथ प्रक्रियात्मक स्तरों, पर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये, आसवनियों तथा यवासवनियों को ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 निर्धारण में पूरी स्वतन्त्रता प्रदान की, जिसके चलते उपभोक्ताओं और राज्य के राजकोष की कीमत पर, निजी पक्षों जैसे आसवनियों/ यवासवनियों, थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को लाभ पहुँचाया गया।

यह तब स्पष्ट हुआ जब अप्रैल 2018 में राज्य सरकार ने अपनी नीति में एक संशोधन (उत्तराखण्ड के समान) प्रस्तावित किया जिसमें आसवनियों तथा यवासवनियों को वो ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 प्रस्तावित करने की आवश्यकता थी, जो पड़ोसी राज्यों में प्रदान की गयी ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 से अधिक न हो। नीतिगत हस्तक्षेप से विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान आबकारी राजस्व में 47.84 प्रतिशत (₹ 12,652.87 करोड़ से ₹ 18,705.61 करोड़) की तीव्र वृद्धि हुई।

यदि दस महीने (अप्रैल 2018 से जनवरी 2019) की अवधि में प्राप्त वृद्धि ₹ 6,052.74 करोड़ को एक्स्ट्रापोलेट[8] किया जाये, तो राज्य ने निजी आसवनियों/ यवासवनियों को केवल 2017–18 में सम्भावित ₹ 7,263.28 करोड़ से अधिक अनुचित लाभ कमाने की अनुमति दी, जोकि 2001–18[9] के दौरान काफी अधिक होता।

2008–18 के दौरान आसवनियों/ यवासवनियों द्वारा दी गयी ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 की पर्याप्त जाँच के अभाव में राज्य के राजकोष को हुई वास्तविक हानि निम्नलिखित निदर्शी मामलों में स्थापित की गयी है:

---

[8] यह भी ध्यान में रखते हुए कि केवल 2008–18 में उत्तर प्रदेश में भा0नि0वि0म0/ बीयर का ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 मूल्य दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड से 46 प्रतिशत/ 135 प्रतिशत अधिक था।

[9] 2017–18 के लिए यहाँ दिये गये ₹ 7,263.28 करोड़ के एक्स्ट्रापोलेशन तथा जो अनुवर्ती प्रस्तरों में आगणित है, के अन्तर्गत किसी अन्तर के लिए इस सम्भावना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उ0प्र0 में 2001–18 के दौरान यदि भा0नि0वि0म0/ बीयर का ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 तथा परिणामस्वरूप एम0आर0पी0 कम होती, तो भा0नि0वि0म0/ बीयर का उपभोग अधिक होता।

4.1.1 भा0नि0वि0म0 की ई0डी0पी0 का निर्धारण

लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान दोनों में मैकडावेल्स् न0 1 सेलिब्रेशन एक्स एक्स एक्स रम की बोतलों[10] (750 एम0एल0 पैक्स की 12 सं0) की 2016–17 के दौरान एम0आर0पी0 की तुलना की जैसा कि नीचे **तालिका–4.4** में वर्णित है:

तालिका–4.4

तत्व	आरोपित धनराशि (750 एम0एल0 की प्रत्येक बोतल) (₹ में)		अन्तर की धनराशि (₹ में)
	राजस्थान में	उत्तर प्रदेश में	
ई0डी0पी0	49.98	111.57	61.59
थोक विक्रेता का मार्जिन	0.68	6.54	5.86
फुटकर विक्रेता का मार्जिन	41.33	76.16	34.83
योग	**91.99**	**194.27**	**102.28**

इस प्रकार भा0नि0वि0म0 की एक बोतल (750 एम0एल0) के लिय उ0प्र0 में आसवनी, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को राजस्थान की तुलना में ₹ 102.28 अधिक मिले। 2016–17 के दौरान मेसर्स यू0एस0एल0 डिस्टलरी, मेरठ ने 20,457 पेटी (2,45,484 बोतलों) का विक्रय किया और अधिक ई0डी0पी0 के कारण ₹ 1.51 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया। अग्रेतर, उपभोक्ताओं को राजस्थान की तुलना में थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन पर ₹ एक करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा। यदि उ0प्र0 की ई0डी0पी0 प्रति बोतल उसी स्तर पर निर्धारित की गयी होती जैसी कि राजस्थान में थी, तो ₹ 102.28 प्रति बोतल (2016–17) की अन्तर की धनराशि सरकार द्वारा आबकारी शुल्क मे वृद्धि करके ही वसूल की जा सकती थी।

यदि हम यह मानते हुए कि भा0नि0वि0म0 ब्राण्ड की सभी बिक्री 750 एम0एल0 माप की बोतल में हुई है, प्रति बोतल (750 एम0एल0) अन्तर की धनराशि ₹ 102.28 को एक्स्ट्रापोलेट कर दें, तो राजस्थान की तुलना में अधिक ई0डी0पी0, थोक विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता के मार्जिन के कारण 2008–18 के दौरान 108.25 करोड़ 750 एम एल बोतल बेचने से, ₹ 11,071.81 करोड़ की सम्भावित राजस्व हानि हुई। यह मानते हुए कि सामाजिक बुराई होने के कारण सरकार ने एम0आर0पी0 को कम करके मदिरा के उपभोग को बढ़ावा नहीं दिया होता, ₹ 11,071.81 करोड़ की अन्तर धनराशि आबकारी शुल्क के रूप में राज्य के राजकोष में जमा हो सकती थी।

लेखापरीक्षा में आगे विश्लेषण किया गया कि भा0नि0वि0म0 के दिये गये ब्राण्डों का उ0प्र0 में एम0आर0पी0/ ई0डी0पी0 किस हद तक पड़ोसी राज्य से अधिक था। परीक्षण से उत्पन्न वास्तविक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

4.1.1.1 भा0नि0वि0म0 के "समरुप" ब्राण्ड्स–राज्यों के मूल्य में भिन्नता

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2008–18 के दौरान उ0प्र0 में भा0नि0वि0म0 के "समरुप" ब्राण्डों की विभिन्न धारिताओं (90 एम0एल0 से 750 एम0एल0) का विक्रय किया गया था, जिसकी ई0डी0पी0 ₹ 7.50 से ₹ 1,097.42 प्रति बोतल के बीच थी। इसकी तुलना में पड़ोसी राज्यों में भा0नि0वि0म0 के "समरुप" ब्राण्ड की ई0डी0पी0 ₹ 0.02 से ₹ 334.62 प्रति बोतल कम थी।

[10] भा0नि0वि0म0 की बोतल/750 एम एल क्षमता का पैक।

वर्ष 2016–17 मे दो पड़ोसी राज्यों की तुलना में उ0प्र0 के पाँच भा0नि0वि0म0 की समरुप ब्राण्डों की अधिक एम0आर0पी0 / ई0डी0पी0 का निदर्शी उदाहरण **तालिका–4.5** में दिया गया है:

तालिका–4.5

आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम (750 एम0एल0)	पड़ोसी राज्य	एम0आर0पी0 / ई0डी0पी0 प्रति बोतल (₹ में)			अन्तर (5–6) (₹ में)	उ0प्र0 में उपभोग की मात्रा (लाख बी0 एल0 में)	उत्तर प्रदेश आसवनी की कुल एम0आर0पी0 / ई0डी0पी0 (₹ करोड़ में)	पड़ोसी राज्य के आसवनी की कुल एम0आर0पी0 / ई0डी0पी0 (₹ करोड़ में)	उत्तर प्रदेश की आसवनी द्वारा वसूली गयी कुल अधिक एम0आर0पी0 / ई0डी0पी0 (₹ करोड़ में)
			एम0आर0पी0 / ई0डी0पी0	उ0प्र0	पड़ोसी राज्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट लि0 मेरठ	मैकडावेल्स न0 1 सेलिब्रेशन एक्स एक्स एक्स रम	राजस्थान	एम0आर0पी0	490.00	301.00	189.00	1.84	12.02	7.38	4.64
			ई0डी0पी0	111.57	49.98	61.59		2.74	1.23	1.51
मेसर्स पर्नाड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0 एफ एल 3 ए दौराला आसवनी, मेरठ	सीग्राम 100 पाईपर डीलक्स् ब्लेण्डेड स्काच व्हिस्की	उत्तराखण्ड	एम0आर0पी0	1,570.00	1,310.00	260.00	1.94	40.61	33.89	6.72
			ई0डी0पी0	696.02	462.25	233.77		18.01	11.96	6.05
मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट लि0 मेरठ	बैगपाईपर सुपीरियर व्हिस्की	उत्तराखण्ड	एम0आर0पी0	410.00	340.00	70.00	4.93	26.95	22.35	4.60
			ई0डी0पी0	91.38	51.25	40.13		6.01	3.37	2.64
मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट लि0 मेरठ	रायल चैलेन्ज क्लासिक प्रीमियम व्हिस्की	राजस्थान	एम0आर0पी0	595.00	490.00	105.00	12.39	98.29	80.95	17.34
			ई0डी0पी0	165.31	125.00	40.31		27.31	20.65	6.66
मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट लि0 मेरठ	मैकडावेल्स ग्रीन लेबल द रिच ब्लेण्ड व्हिस्की	राजस्थान	एम0आर0पी0	420.00	305.00	115.00	4.52	25.31	18.38	6.93
			ई0डी0पी0	99.95	51.16	48.79		6.02	3.08	2.94
योग						**एम0आर0 पी0**	**25.62**	**203.18**	**162.95**	**40.23**
						ई0डी0पी0		**60.09**	**40.29**	**19.80**

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

ई0डी0पी0 में अंतर से भा0नि0वि0म0 की पाँच समरुप ब्राण्डों की एम0आर0पी0 में ₹ 70 से ₹ 260 के मध्य अंतर हो गया, जैसा कि **तालिका–4.5** में निदर्शित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने नमूना लेखापरीक्षित आसवनियों द्वारा बेचे जाने वाले भा0नि0वि0म0 के विभिन्न ब्राण्डों का विवरण प्राप्त किया तथा पड़ोसी राज्यों[11] में बेचे जाने वाले समरुप ब्राण्डों के भा0नि0वि0म0 की ई0डी0पी0 से उसकी तुलना की। हमने देखा कि 2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान इसी प्रकार की विभिन्न धारिताओं (90 एम0एल0 से 750 एम0एल0) के विभिन्न समरुप ब्राण्डों की भा0नि0वि0म0 की ई0डी0पी0, पड़ोसी राज्यों में स्वीकृत उसी ब्राण्ड के ई0डी0पी0 से कहीं अधिक पायी गयी। इस प्रकार नमूना लेखापरीक्षित आसवनियों को केवल भा0नि0वि0म0 के समरुप ब्राण्डों के सम्बन्ध में ₹ 851.63 करोड़ का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ जैसा **तालिका–4.6** में वर्णित है।

तालिका–4.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आसवनी से निर्गत मात्रा बी0एल0 में (करोड़ में)	उ0प्र0 में आसवनियों द्वारा वसूली गयी ई0डी0पी0	पड़ोसी राज्यों में आसवनियों द्वारा भा0नि0वि0म0 के समरुप ब्राण्डस् के लिए वसूल की गयी ई0डी0पी0	आसवनियों को दिया गया अनुचित लाभ
2008–09	1.20	111.83	102.07	9.76
2009–10	1.82	186.82	159.57	27.25
2010–11	0.98	104.65	89.74	14.91
2011–12	2.57	328.78	257.36	71.42
2012–13	1.89	277.62	193.44	84.18
2013–14	0.94	201.86	150.02	51.84
2014–15	1.26	275.06	197.42	77.64
2015–16	1.30	292.65	214.37	78.28
2016–17	2.90	671.37	497.56	173.81
2017–18	4.03	894.35	631.81	262.54
योग	**18.89**	**3,344.99**	**2,493.36**	**851.63**

4.1.1.2 भा0नि0वि0म0 के समान ब्राण्ड्स–राज्यों के मूल्य में भिन्नता

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2008–18 के दौरान उ0प्र0 में भा0नि0वि0म0 के "समान[12]" ब्राण्डों की विभिन्न धारिताओं (90 एम0एल0 से 750 एम0एल0) का विक्रय किया गया था, जिसकी ई0डी0पी0 ₹ 8.75 से ₹ 966.08 प्रति बोतल के बीच थी। इसकी तुलना में पड़ोसी राज्यों में भा0नि0वि0म0 के "समान" ब्राण्ड की ई0डी0पी0 ₹ 0.36 से ₹ 276.43 प्रति बोतल कम थी।

---

11 किसी विशेष ब्राण्ड की ई0डी0पी0 की तुलना, सभी पड़ोसी राज्यों के बीच समान ब्राण्ड की सबसे कम पायी गयी ई0डी0पी0 से की गयी।

12 लेखापरीक्षा में समान शब्द का प्रयोग उन ब्राण्डों के लिए किया है जिनके नाम में थोड़ा सा अन्तर है परन्तु अनिवार्य रुप से समरुप (राज्य आबकारी विभाग के पास भा0नि0वि0म0/ बीयर के ब्राण्डों का संघटक उपलब्ध नहीं था) है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में बैगपाइपर सुपिरियर व्हिस्की विक्रय की जाती है तथा राजस्थान में बैगपाइपर क्लासिक व्हिस्की विक्रय की जाती है, इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में किंगफिशर स्ट्रांग प्रीमियम बीयर विक्रय की जाती है तथा राजस्थान में किंगफिशर सुपर स्ट्रांग प्रीमियम बीयर विक्रय की जाती है। उत्तराखण्ड की वर्ष 2014–15 एवं आगे की आबकारी नीतियां उदाहरण के द्वारा नियत करती हैं कि यदि कोई ब्राण्ड एक्स एक्स एक्स क्लासिक व्हिस्की के नाम से विक्रय किया जाता है, तो समान ब्राण्डों को पहचानने के लिए नाम ''एक्स एक्स एक्स'' माना जायेगा।

वर्ष 2016–17 मे दो पड़ोसी राज्यों की तुलना में उ0प्र0 की भा0नि0वि0म0 की पाँच समान ब्राण्डों की अधिक एम0आर0पी0/ ई0डी0पी0 का निदर्शी उदाहरण **तालिका–4.7** में दिया गया है:

तालिका–4.7

आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम		पड़ोसी राज्य	एम0आर0पी0/ई0डी0पी0 प्रति बोतल (₹ में) (750 एम0एल0)			अन्तर (6–7) (₹ में)	उपभोग की मात्रा (लाख बी0एल0 में)	उत्तर प्रदेश के लिए आसवनी की कुल एम0आर0 पी0/ई0 डी0पी0 (₹ करोड़ में)	पड़ोसी राज्य के लिए आसवनी की कुल एम0आर0 पी0/ई0 डी0पी0 (₹ करोड़ में)	उत्तर प्रदेश की आसवनी द्वारा वसूली गयी कुल अधिक एम0आर0 पी0/ई0 डी0पी0 (₹ करोड़ में)
	उत्तर प्रदेश में	पड़ोसी राज्य में		एम0आर0पी0 /ई0डी0पी0	उत्तर प्रदेश में	पड़ोसी राज्य में					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मेसर्स रेडिको खेतान लि0 रामपुर	मैजिक मोमेण्ट प्रीमियम वोदका्	मैजिक मोमेण्ट स्मूथ ग्रेन वोदका	राजस्थान	एम0आर0पी	530.00	400.00	130.00	2.93	20.71	15.63	5.08
				ई0डी0पी0	132.27	83.75	48.52		5.17	3.27	1.90
मेसर्स पर्नाड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0, मेरठ	सीग्राम रायल स्टैग रीजर्व व्हिस्की	रायल स्टैग डीलक्स व्हिस्की	राजस्थान	एम0आर0पी0	595.00	483.00	112.00	19.62	155.65	126.35	29.30
				ई0डी0पी0	165.30	120.92	44.38		43.24	31.63	11.61
मेसर्स रेडिको खेतान लि0 रामपुर	8 पी एम स्पेशल रेअर ब्लेण्ड आफ इण्डियन व्हिस्की एण्ड स्काच	8 पी एम क्लासिक व्हिस्की	राजस्थान	एम0आर0पी0	410.00	287.00	123.00	12.83	70.14	49.10	21.04
				ई0डी0पी0	91.38	46.58	44.80		15.63	7.97	7.66
मेसर्स यूनाईटेड स्प्रिट लि0 रोजा शाहजॅहापुर	मैकडावेल्स् न0 1 सेलेक्ट व्हीस्की	मैकडावेल्स न0 1 डीलक्स व्हिस्की	राजस्थान	एम0आर0पी0	530.00	391.00	139.00	10.54	74.48	54.95	19.53
				ई0डी0पी0	132.27	80.00	52.27		18.59	11.24	7.35
मेसर्स पर्नाड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0, मेरठ	सीग्राम इम्पीरियल ब्लू ब्लेण्डेड ग्रेन व्हिस्की	इम्पीरियल ब्लू सुपीरियर ग्रेन व्हिस्की	उत्तराखण्ड	एम0आर0पी0	545.00	415.00	130.00	8.98	65.25	49.69	15.56
				ई0डी0पी0	139.93	77.83	62.10		16.75	9.32	7.43
योग							**एम0आर0पी0**	**54.90**	**386.23**	**295.72**	**90.51**
							ई0डी0पी0		**99.38**	**63.43**	**35.95**

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

ई0डी0पी0 में अंतर से भा0नि0वि0म0 के पाँच समान ब्राण्डों के एम0आर0पी0 में ₹ 112 से ₹ 139 के बीच अंतर हो गया, जैसा **तालिका–4.7** में निदर्शित किया गया है।

लेखापरीक्षा में नमूना लेखापरीक्षित आसवनियों द्वारा बेचे जाने वाले भा0नि0वि0म0 के विभिन्न ब्राण्डों का विवरण प्राप्त किया तथा पड़ोसी राज्यों[13] में बेचे जाने वाले समान ब्राण्डों के भा0नि0वि0म0 की ई0डी0पी0 से उसकी तुलना की। हमने देखा कि 2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान इसी प्रकार की विभिन्न धारिताओं (90 एम0एल0 से 750 एम0एल0) की विभिन्न समान ब्राण्डों की भा0नि0वि0म0 की ई0डी0पी0 पड़ोसी

[13] किसी विशेष ब्राण्ड की ई0डी0पी0 की तुलना सभी पड़ोसी राज्यों के बीच समान ब्राण्ड की सबसे कम पायी गयी ई0डी0पी0 से की गयी।

राज्यों में स्वीकृत उसी ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कहीं अधिक पायी गयी। इस प्रकार नमूना लेखापरीक्षित आसवनियों को केवल भा0नि0वि0म0 के समान ब्राण्डों के सम्बन्ध में ₹ 1,968.86 करोड़ का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ जैसा **तालिका–4.8** में वर्णित है:

तालिका–4.8

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आसवनी से निर्गत मात्रा बी0एल0 में (करोड़ में)	उ0प्र0 में आसवनियों द्वारा वसूली गयी ई0डी0पी0	पड़ोसी राज्यों में आसवनियों द्वारा भा0नि0वि0म0 के समान ब्राण्डों के लिए वसूली गयी ई0डी0पी0	आसवनियों को दिया गया अनुचित लाभ
2008–09	0.44	38.38	31.86	6.52
2009–10	0.63	69.71	56.11	13.60
2010–11	2.94	275.42	202.86	72.56
2011–12	3.13	332.46	248.52	83.94
2012–13	4.88	660.47	456.91	203.57
2013–14	5.58	849.13	537.61	311.51
2014–15	4.31	733.81	461.07	272.74
2015–16	3.20	589.09	367.44	221.65
2016–17	5.47	1,010.39	612.83	397.56
2017–18	5.91	1,065.12	679.91	385.21
योग	**36.49**	**5,623.98**	**3,655.12**	**1,968.86**

इस प्रकार आबकारी विभाग ने 2008–09 से 2017–18 के मध्य निजी आसवनियों को ₹ 2,820.49 करोड़ (समरुप ब्राण्डों: ₹ 851.63 करोड़+समान ब्राण्डों: ₹ 1,968.86 करोड़) का अनुचित लाभ प्रदान किया। राज्य में भा0नि0वि0म0 की ई0डी0पी0 समग्र रुप से पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान एवं उत्तराखण्ड में भुगतान की गयी ई0डी0पी0 से 46 प्रतिशत अधिक थी।

निम्नांकित उदाहरण इंगित करता है कि कैसे 2018–19 में नीति गत हस्तक्षेप ने उ0प्र0 में राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ मदिरा के मूल्यों में कमी (ई0डी0पी0 में कमी के कारण) को नियत किया:

लेखापरीक्षा ने भा0नि0वि0म0 के पाँच प्रचलित ब्राण्डों के मामले में देखा कि 2016–17 तक इन ब्राण्डों की ई0डी0पी0 में वृद्धि हो रही थी, 2017–18 में स्थिर थी तथा 2018–19 में 2017–18 की अपनी सम्बन्धित ई0डी0पी0 की तुलना में, 18 प्रतिशत की तेज गिरावट के साथ, ₹ 16.17 से ₹ 37.10 प्रति बोतल की कमी हुयी। विवरण **तालिका–4.9** में दिया गया है:

तालिका–4.9

(₹ में)

वर्ष	बैगपाईपर सुपीरियर व्हीस्की		रैफेल्स मैच्योर्ड रम		एम 2 मैजिक मोमेण्टस् आरेन्ज वोडका		सीग्राम ब्लेन्डर्स प्राईड रेअर प्रीमियम व्हीस्की		ऐन्टीक्वीटी ब्लू अल्ट्रा–प्रीमियम व्हीस्की		ई0डी0पी0 का योग	विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत में)
	ई0डी0 पी0	विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत में)	ई0डी0 पी0	विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत में)	ई0डी0पी0	विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत में)	ई0डी0पी0	विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत में)	ई0डी0पी0	विगत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत में)		
2008–09	43.50		52.08		84.00		163.12		255.67		598.37	
2009–10	48.25	10.92	48.25	–7.35	130.00	54.76	170.00	4.22	252.08	–1.40	648.58	8.39
2010–11	48.25	0.00	48.25	0.00	105.80	–18.62	170.00	0.00	257.08	1.98	629.38	–2.96
2011–12	61.90	28.29	61.90	28.29	110.97	4.89	213.39	25.52	259.75	1.04	707.91	12.48
2012–13	80.11	29.42	80.11	29.42	127.24	14.66	224.11	5.02	264.29	1.75	775.86	9.60
2013–14	82.74	3.28	89.42	11.62	136.91	7.60	228.18	1.82	268.69	1.66	805.94	3.88
2014–15	88.86	7.40	88.88	–0.60	148.40	8.39	233.54	2.35	275.00	2.35	834.68	3.57
2015–16	90.95	2.35	90.94	2.32	152.02	2.44	249.50	6.83	286.74	4.27	870.15	4.25
2016–17	91.38	0.47	91.38	0.48	152.62	0.39	249.50	0.00	286.98	0.08	871.86	0.20
2017–18	91.38	0.00	91.38	0.00	152.62	0.00	249.50	0.00	286.98	0.00	871.86	0.00
2018–19	**54.28**	**–40.60**	**54.28**	**–40.60**	**122.50**	**–19.74**	**233.33**	**–6.48**	**250.00**	**–12.89**	**714.39**	**–18.06**

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

विभाग में सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा ने सभी प्रकरणों में देखा कि सम्बन्धित आसवनियों द्वारा ई0डी0पी0 का जो निर्धारण किया गया तथा राज्य के आबकारी विभाग को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया, विभाग द्वारा उनकी यथोचितता की किसी भी स्तर[14] पर जॉच या सत्यापन किये बिना अनुमोदित कर दिया गया।

4.1.2 बीयर की ई0बी0पी0 का निर्धारण

भा0नि0वि0म0 के प्रकरण की तरह लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में विक्रय की गयी टूबर्ग स्ट्रांग बीयर के एक केन (500 एम0एल0) के उत्पादन, मूल्य निर्धारण तथा विक्रय के लिए एक्स ब्रिवरी प्राइस की तुलना की, जिसे नीचे **तालिका–4.10** में दर्शाया गया है:

तालिका–4.10

तत्व	आरोपित धनराशि (500 एम0एल0 का प्रत्येक कैन) (₹ में)		अन्तर की धनराशि (₹ में)
	राजस्थान में	उत्तर प्रदेश में	
ई0बी0पी0	16.80	44.91	28.11
थोक विक्रेता का मार्जिन	0.18	1.35	1.17
फुटकर विक्रेता का मार्जिन	11.94	12.31	0.37
योग	**28.92**	**58.57**	**29.65**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि यदि उ0प्र0 की ई0बी0पी0 प्रति कैन राजस्थान के स्तर पर निर्धारित की गयी होती, तो 2016–17 में शासन ₹ 29.65 प्रति कैन की अन्तर

[14] एम0आर0पी0 के अनुमोदन से पूर्व, आबकारी विभाग के लाइसेंस अनुभाग में इसके विवरण के जाँच की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात् संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय द्वारा जाँच की जाती है तथा अंततः आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

की धनराशि को आबकारी शुल्क में ही वृद्धि करके वसूली कर सकता था। उ0प्र0 में यवासवनियों को राजस्थान की तुलना में बीयर के प्रति कैन (500 एम0एल0) पर ₹ 28.11 अधिक मिला। 2016–17 के दौरान मैसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लि0, उन्नाव ने टूबर्ग स्ट्रांग बीयर की 24,74,777 पेटी[15] (500 एम0एल0 कैन्स) बेची और अधिक ई0बी0पी0 के कारण ₹ 166.96 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया। अग्रेतर, उपभोक्ताओं को राजस्थान की तुलना में थोक और फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन पर ₹ 9.15 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा।

उपरोक्त के आधार पर, यदि हम 2013–18 के दौरान बीयर के सभी ब्राण्डों से सम्बन्धित कुल 11.92 करोड़ पेटी की वास्तविक बिक्री को आबकारी राजस्व की सम्बन्धित हानि से एक्सट्रापोलेट कर दे ंतो 650 एम एल की बोतलों के लिए (उ0प्र0 तथा राजस्थान के बीच ₹ 38.55 का अंतर) इसका आगणन ₹ 5,513.42 करोड़ होगा।

उपभोक्ताओं साथ ही साथ राज्य के राजकोष, दोनों की कीमत पर, यवासवनियों, थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को अतिरिक्त लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा में आगे विश्लेषण किया कि बीयर के दिये गये ब्राण्डों की उ0प्र0 में ई0बी0पी0 किस सीमा तक पड़ोसी राज्य से अधिक थी। परीक्षण से उत्पन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

4.1.2.1 बीयर के "समरुप" ब्राण्ड–उ0प्र0 एवं पड़ोसी राज्यो के मूल्य में भिन्नता

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2013–18 के दौरान उ0 प्र0 में बीयर के समरुप ब्राण्डों की विभिन्न धारिताओं (325 एम0एल0 से 650 एम0एल0) का विक्रय किया गया था, जिसकी ई0बी0पी0 ₹ 27.08 से ₹ 72.62 प्रति बोतल/ कैन के बीच थी। इसकी तुलना में, पड़ोसी राज्यों की ई0बी0पी0 ₹ 16.01 से ₹ 52.12 प्रति समरुप बोतल/ कैन कम थी।

वर्ष 2016–17 में दो पड़ोसी राज्यों की तुलना में उ0प्र0 के बीयर के पाँच समरुप ब्राण्डों का अधिक एम0आर0पी0/ ई0बी0पी0 का निदर्शी उदाहरण **तालिका–4.11** में दिया गया है:

[15] एक पेटी में 24 कैन्स।

तालिका–4.11

(₹ में)

यवासवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम	पड़ोसी राज्य	एम0आर0पी0/ई0बी0पी0 प्रति बोतल/कैन (₹ में)			अन्तर (5–6) (₹ में)	मात्रा (लाख बी0 एल0 में)	यवासवनियों द्वारा वसूल की गयी एम0आर0पी0 /ई0बी0पी0 (₹ करोड़ में)	पड़ोसी राज्य के ई0बी0पी0 के अनुसार निर्गत बीयर की एम0आर0पी /ई0बी0पी0 (₹ करोड़ में)	यवासवनियों द्वारा अधिक वसूल की गयी एम0आर0पी0 /ई0बी0पी0 (₹ करोड़ में)
			एम0आर0पी0 /ई0बी0पी0	उत्तर प्रदेश में	पड़ोसी राज्य में					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेसर्स यूनाईटेड ब्रीवरीज लि0 एफ एल 3 ए वेव डिस्टिलरी एवं ब्रीवरीज	किगफिशर प्रीमियम लागर बीयर (650 एम0 एल0)	राजस्थान	एम0आर0पी0	130.00	89.00	41.00	7.77	15.54	10.64	4.90
			ई0बी0पी0	52.69	20.82	31.87		6.30	2.49	3.81
मेसर्स यूनाईटेड ब्रीवरीज लि0 एफ एल 3 ए वेव डिस्टिलरी एवं ब्रीवरीज	किगंफिशर प्रीमियम लागर बीयर (500 एम0 एल0)	राजस्थान	एम0आर0पी0	105.00	78.00	27.00	11.56	24.28	18.03	6.25
			ई0बी0पी0	45.53	18.51	27.02		10.53	4.28	6.25
वेव डिस्टलरी एवं ब्रीवरीज लि0	वेव प्रीमियम बीयर स्ट्रांग (650 एम0एल0)	उत्तराखण्ड	एम0आर0पी0	135.00	120.00	15.00	16.51	34.29	30.48	3.81
			ई0बी0पी0	51.88	23.00	28.88		13.18	5.84	7.34
मेसर्स यूनाईटेड ब्रीवरीज लि0 एफ एल 3 ए वेव डिस्टिलरी एवं ब्रीवरीज	किगंफिशर स्ट्रागं प्रीमियम बीयर (650 एम0 एल0)	राजस्थान	एम0आर0पी0	140.00	94.00	46.00	244.19	525.95	353.14	172.81
			ई0बी0पी0	52.54	22.12	30.42		197.38	83.10	114.28
कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा0 लि0 अलवर राजस्थान एफ एल 3 ए मैसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0, उन्नाव	टूबर्ग स्ट्रांग प्रीमियम बीयर (500 एम0 एल0)	राजस्थान	एम0आर0पी0	110.00	83.00	27.00	296.97	653.33	492.97	160.36
			ई0बी0पी0	44.91	16.80	28.11		266.74	99.78	166.96
					योग	**एम0आर0पी0**	**577.00**	**1,253.39**	**905.26**	**348.13**
						ई0बी0पी0		**494.13**	**195.49**	**298.64**

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

ई0बी0पी0 में अन्तर से पाँच समरुप ब्राण्डों की बीयर की एम0आर0पी0 में ₹ 15 से ₹ 46 के बीच अन्तर हो गया, जैसा तालिका सं0 4.11 में निदर्शित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने यवासवनियों द्वारा बेची जाने वाली बीयर की विभिन्न ब्राण्डों का विवरण प्राप्त किया तथा पड़ोसी राज्यों[16] में बेचे जाने वाली समरूप ब्राण्डों की बीयर की ई0बी0पी0 से उसकी तुलना की। हमने देखा कि 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान इसी प्रकार की विभिन्न धारिताओं (325 एम0एल0 से 650 एम0एल0) के विभिन्न समरुप ब्राण्डों की बीयर की ई0बी0पी0 पड़ोसी राज्यों में स्वीकृत उसी ब्राण्ड की ई0बी0पी0 से कहीं अधिक पायी गयी। इस प्रकार नमूना लेखापरीक्षित यवासवनियों को केवल बीयर की समरुप ब्राण्डों के सम्बन्ध में ₹ 1,500.48 करोड़ का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ जैसा **तालिका–4.12** में वर्णित है:

[16] किसी विशेष ब्राण्ड की ई0बी0पी0 की तुलना सभी पड़ोसी राज्यों की बीच समान ब्राण्ड की सबसे कम पायी गयी ई0बी0पी0 से की गयी।

तालिका–4.12

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यवासवनियों से निर्गत मात्रा करोड़ बल्क लीटर में	उ0प्र0 में यवासवनियों द्वारा वसूली गयी ई0बी0पी0	पड़ोसी राज्यो द्वारा बीयर की समरुप ब्राण्ड्स के लिए वसूल की गयी ई0बी0पी0	यवासवनियों को दिया गया अनुचित लाभ
2013–14	3.84	292.89	111.74	181.15
2014–15	6.37	507.94	222.03	285.91
2015–16	4.44	366.20	151.28	214.92
2016–17	6.09	523.05	208.61	314.44
2017–18	10.03	919.11	415.05	504.06
योग	**30.76**	**2,609.19**	**1,108.71**	**1,500.48**

4.1.2.2 बीयर के "समान" ब्राण्ड–राज्यों के मूल्य में भिन्नता

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2013–18 के दौरान उत्तर प्रदेश में बीयर के "समान" ब्राण्ड की विभिन्न धारिताओं (325 एम0एल0 से 650 एम0एल0) का विक्रय किया गया था, जिनकी ई0बी0पी0 ₹ 42.95 से ₹ 89.40 प्रति बोतल/ कैन के बीच थी। इसकी तुलना में राजस्थान के "समान" ब्राण्ड्स की ई0बी0पी0 ₹ 24.46 से ₹ 59.50 प्रति बोतल/ कैन तक कम थी।

राजस्थान की तुलना में वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश में बीयर के पाँच समान ब्राण्डों के सम्बन्ध में अधिक एम0आर0पी0/ ई0बी0पी0 का निदर्शी उदाहरणों को **तालिका–4.13** में दिया गया है:

तालिका–4.13

यवासवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम		पड़ोसी राज्य का नाम	एम0आर0पी0 / ई0बी0पी0 प्रति बोतल / कैन (₹ में)			अन्तर (6–7) (₹ में)	मात्रा (लाख बी0 एल0 में)	यवासवनियों द्वारा वसूली गयी एम0आर0पी0 / ई0बी0पी0 (₹ करोड़ में)	पड़ोसी राज्य के ई बी पी के अनुसार निर्गत बीयर का एम0आर0पी0 / ई0बी0पी0 (₹ करोड़ में)	यवासवनियों द्वारा अधिक वसूली गयी एम0आर0पी0 / ई0बी0पी0 (₹ करोड़ में)
	उत्तर प्रदेश में	पड़ोसी राज्य में		एम0आर0पी0 ई0बी0पी0	उत्तर प्रदेश में	पड़ोसी राज्य में					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मेसर्स सैब मिलर इन्डिया लि0 यूनिट सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रीवरीज मेरठ	हेवर्डस 5000 एक्सट्रा सुपर स्ट्रागं बीयर (650 एम0एल0)	हेवर्डस 5000 सुपर स्ट्रागं बीयर	राजस्थान	एम0आर0पी0	135.00	94.00	41.00	54.60	113.40	78.96	34.44
				ई0बी0पी0	51.85	22.12	29.73		43.56	18.58	24.98
मेसर्स यूनाईटेड ब्रीवरीज लि0 एफ एल 3 ए मेसर्स वेव डिस्टिलरी एवं ब्रीवरीज लि0	किंग–फिशर स्ट्रागं प्रीमियम बीयर (500 एम0 एल0)	किगंफिशर सुपर स्ट्रागं प्रीमियम बीयर	राजस्थान	एम0आर0पी0	110.00	84.00	26.00	618.76	1,361.27	1,039.52	321.75
				ई0बी0पी0	45.42	19.81	25.61		562.08	245.15	316.93
कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा0 लि0 अलवर राजस्थान एफ एल 3 ए मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0 उन्नाव	टूबर्ग स्ट्रांग एक्सपोर्ट प्रीमियम बीयर (650 एम0 एल0)	टूबर्ग स्ट्रांग प्रीमियम बीयर	राजस्थान	एम0आर0पी0	135.00	94.00	41.00	87.82	182.40	127.00	55.40
				ई0बी0पी0	51.88	22.12	29.76		70.09	29.88	40.21
कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा0 लि0 अलवर राजस्थान एफ एल 3 ए मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0 उन्नाव	कार्ल्सबर्ग एलीफैन्ट स्ट्रागं सुपर प्रीमियम बीयर (650 एम0 एल0)	कार्ल्सबर्ग एलीफैन्ट क्लासिक स्ट्रागं सुपर प्रीमियम बीयर	राजस्थान	एम0आर0पी0	185.00	129.00	56.00	4.99	14.20	9.90	4.30
				ई0बी0पी0	70.55	30.93	39.62		5.41	2.37	3.04
कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा0 लि0 अलवर राजस्थान एफ एल 3 ए मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0 उन्नाव	टूबर्ग ग्रीन बीयर (650 एम0 एल0)	टूबर्ग प्रीमियम बीयर	राजस्थान	एम0आर0पी0	130.00	89.00	41.00	3.63	7.26	4.97	2.29
				ई0बी0पी0	52.69	20.82	31.87		2.94	1.16	1.78
						योग	एम0आर0पी0	769.80	1,678.53	1,260.35	418.18
							ई0बी0पी0		684.08	297.14	386.94

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

ई0बी0पी0 के अन्तर से बीयर के समान पाँच ब्राण्डों के एम0आर0पी0 में ₹ 26 से ₹ 56 के बीच का अन्तर हुआ जैसा कि **तालिका–4.13** में निदर्शित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की गयी यवासवनियों द्वारा बेचे जाने वाले बीयर के विभिन्न ब्राण्डों का विवरण प्राप्त किया और पडोसी राज्यों[17] में बीयर के समान ब्राण्डों के ई0बी0पी0 के साथ इसकी तुलना की। हमने पाया कि 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों में समान ब्राण्डों की स्वीकृत ई0बी0पी0 की तुलना में उत्तर प्रदेश की विभिन्न धारिताओं (325 एम0एल0 से 650 एम0एल0) की बीयर की विभिन्न ब्राण्डों की ई0बी0पी0 को अत्यधिक उच्च दर पर निर्धारित किया जा रहा था। इस तरह, बीयर के समान ब्राण्डों के सम्बन्ध में नमूना जाँच की गयी यवासवनियों को ₹ 1,204.05 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया जिसे **तालिका–4.14** में वर्णित किया गया है।

तालिका–4.14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यवासवनी से निर्गत मात्रा बल्क लीटर (करोड़ में)	उत्तर प्रदेश में यवासवनियों द्वारा वसूली गयी ई0बी0पी0	पड़ोसी राज्यो में यवासवनियों द्वारा बीयर के समान ब्राण्डों के लिये वसूली गयी ई0बी0पी0	यवासवनियों को दिया गया अनुचित लाभ
2013–14	4.79	393.14	156.52	236.62
2014–15	2.67	236.39	105.76	130.63
2015–16	4.66	404.42	176.93	227.49
2016–17	7.72	686.88	297.99	388.89
2017–18	4.73	386.97	166.55	220.42
योग	**24.57**	**2,107.80**	**903.75**	**1,204.05**

इस प्रकार, आबकारी विभाग ने 2013–14 से 2017–18 के मध्य नमूना जॉच की गयी यवासवनियों को ₹ 2,704.53 करोड़ ("समरुप" ब्राण्ड: ₹ 1,500.48 करोड़ + "समान" ब्राण्ड: ₹ 1,204.05 करोड़) का, अपने स्वयं के राजस्व और उपभोक्ताओं की कीमत पर, अनुचित लाभ प्रदान किया।

राज्य में बीयर की सम्रग ई0बी0पी0, पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान, दिल्ली एवं उत्तराखण्ड में भुगतान की गयी ई0बी0पी0 से 135 प्रतिशत अधिक थी।

भा0नि0वि0म0 के प्रकरण की तरह बीयर की ई0बी0पी0 2013–14 से 2016–17 तक लगातार बढ़ रही थी, 2017–18 में स्थिर रही और 2018–19 में नई आबकारी नीति लाने पर 2018–19 में 43.62 प्रतिशत की तेजी से गिर गयी, जैसा कि **तालिका–4.15** में दर्शाया गया है।

[17] किसी विशेष ब्राण्ड की ई0बी0पी0 की तुलना सभी पड़ोसी राज्यों के बीच समान ब्राण्ड की सबसे कम पायी गयी ई0बी0पी0 से की गयी।

तालिका–4.15

(₹ में)

वर्ष	किंगफिशर एक्स्ट्रा स्ट्रागं प्रीमियम बीयर		कार्ल्सबर्ग एलीफैन्ट स्ट्रागं सुपर प्रीमियम बीयर		टूबर्ग स्ट्रांग एक्सपोर्ट प्रीमियम बीयर		फोस्टर्स क्लासिक प्रीमियम लागर बीयर		टूबर्ग ग्रीन बीयर		कुल ई0बी0पी0	वृद्धि का प्रतिशत
	ई0बी0पी0	वृद्धि का प्रतिशत	ई0बी0पी0	वृद्धि का प्रतिशत	ई0बी0पी0	वृद्धि का प्रतिशत	ई0बी0पी0	वृद्धि का प्रतिशत	ई0बी0पी0	वृद्धि का प्रतिशत		
2013–14	49.34		70.11		49.34		61.75		67.16		297.70	
2014–15	51.05	3.47	70.39	0.40	51.06	3.49	62.24	0.79	51.95	–22.65	286.69	–3.70
2015–16	51.85	1.57	70.09	–0.43	51.85	1.55	64.43	3.52	52.69	1.42	290.91	1.47
2016–17	51.88	0.06	70.55	0.66	51.88	0.06	64.43	0.00	52.69	0.00	291.43	0.18
2017–18	51.88	0.00	70.55	0.00	51.88	0.00	64.43	0.00	52.69	0.00	291.43	0.00
2018–19	30.84	–40.56	43.89	–37.79	30.84	–40.56	30.13	–53.24	28.61	–45.70	164.31	–43.62

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

विभाग में सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा ने सभी प्रकरणों में देखा कि सम्बन्धित यवासवनियों द्वारा ई0बी0पी0 का जो निर्धारण किया गया तथा राज्य के आबकारी विभाग को अनुमोदन के लिये अग्रेषित किया, विभाग द्वारा उनकी यथोचितता की किसी भी स्तर पर जाँच या सत्यापन के बिना, अनुमोदित कर दिया गया[18]।

4.1.3 छूट के माध्यम से थोक विक्रेताओं का संदिग्ध संवर्धन

ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 में वृद्धि के कारण आसवनियों / यवासवनियों को ₹ 5,525.02 करोड़ के अनुचित लाभ को प्रस्तर सं0 4.1.1 और 4.1.2 में उल्लिखित किया गया है। बाद में आसवकों में से एक रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर, एक आसवनी जो राज्य में देशी शराब / भा0नि0वि0म0 का उत्पादन और बिक्री करती है, के तुलन पत्र से यह भी सुनिश्चित हुआ कि आसवक ने 2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान कटौती, छूट एवं भत्तों के रूप में ₹ 426.45 करोड़ का भुगतान किया। चूँकि आसवनी थोक विक्रेताओं को भा0नि0वि0म0 बेचती है, इसलिये आसवनी / यवासवनी ही नहीं, अपितु थोक विक्रेताओं को भी बढ़ायी गयी ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 से छूट के माध्यम से लाभ पहुँचाये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में सतर्कता द्वष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा जाँच की जानी चाहिए। क्योंकि थोक विक्रेता पहले से ही बढ़ी हुयी ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के आधार पर मार्जिन का लाभ प्राप्त कर रहे थे ।

4.1.4 थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को लाभ

2008–18 की आबकारी नीतियों के अनुसार, भा0नि0वि0म0 के मामले में, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन की गणना ई0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में अलग से की जाती है। परिणामस्वरूप, जैसा कि प्रस्तर 4.1.1 और 4.1.2 में वर्णित है, अधिक ई0डी0पी0 राजकोष और उपभोक्ताओं की कीमत पर, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं दोनों के लिये अधिक लाभ में परिवर्तित हुयी।

2008–18 के दौरान नमूना जाँच की गयी आसवनियों में भा0नि0वि0म0 के समरुप और समान ब्राण्डों पर थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को ₹ 1,643.61 करोड़ का अत्यधिक लाभ दिया गया, जैसा कि **तालिका–4.16** में वर्णित है।

[18] एम0आर0पी0 के अनुमोदन से पूर्व, आबकारी विभाग के लाइसेंस अनुभाग में इसके विवरण के जाँच की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय द्वारा जाँच की जाती है तथा अंततः आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

तालिका–4.16

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भा0नि0वि0म0 की मात्रा बल्क लीटर में (करोड़)	थोक विक्रेताओं को अनुमन्य किया गया अत्यधिक मार्जिन	फुटकर विक्रेताओं को अनुमन्य किया गया अत्यधिक मार्जिन	कुल वित्तीय प्रभाव (3+4)
1	2	3	4	5
2008–09	1.64	0.86	14.16	15.01
2009–10	2.45	1.54	25.58	27.13
2010–11	3.93	4.34	68.29	72.63
2011–12	5.70	6.58	102.90	109.48
2012–13	6.78	13.09	190.76	203.85
2013–14	6.52	8.49	70.58	79.07
2014–15	5.56	8.28	59.55	67.84
2015–16	4.49	4.92	42.90	47.82
2016–17	8.37	12.49	53.66	66.15
2017–18	9.94	39.12	915.51	954.63
योग	**55.38**	**99.71**	**1,543.90**	**1,643.61**

लेखापरीक्षा ने अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के थोक मदिरा बिक्री परिदृश्य की तुलना की और पाया कि राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने राज्य के स्वामित्व वाले ब्रीवरेजेस निगमों को थोक मदिरा का व्यापार सौंपा है, जो उन्हें आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क के अलावा, थोक विक्रेताओं के मार्जिन पर अतिरिक्त संसाधन अर्जित करने में सक्षम बनाता है। फिर भी, उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार ने राजस्थान और तेलंगाना की तरह मदिरा की थोक बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिये कोई निगम नहीं बनाया।

फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि बीयर के मामले में, भा0नि0वि0म0 के बिल्कुल विपरीत, 2013–18 के दौरान आबकारी नीतियों ने ई0बी0पी0 को बिना आधार बनाये, थोक और फुटकर विक्रेताओं के लिए निश्चित मार्जिन प्रावधानित किये। इस प्रकार, बढ़ी हुयी ई0बी0पी0 के कारण मार्जिन पर कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा। यदि राज्य सरकार ने भा0नि0वि0म0 के मामले में भी अपनी आगामी आबकारी नीतियों (अर्थात आसवनियों द्वारा दी गयी ई0डी0पी0 के प्रतिशत के बजाय, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के निश्चित मार्जिन रखने) में एक समान प्रावधान को शामिल किया होता तो राज्य सरकार, राज्य में मदिरा की एम0आर0पी0 में वृद्धि किये बिना, अधिक आबकारी शुल्क अर्जित कर सकती थी।

अंततः, बिना किसी विस्तृत औचित्य या लागत के समर्थन और विभाग में किसी भी स्तर पर जाँच के बिना, बढ़ी हुयी ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 की स्वीकृति देकर विभाग ने 2008–18 के दौरान आसवनियों/ यवासवनियों को ₹ 5,525.02 करोड़ और थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को वास्तविक बिक्री पर, अत्यधिक मार्जिन के रूप में अतिरिक्त ₹ 1,643.61 करोड़ का अनुचित लाभ अनुमन्य किया।

विभाग ने 25 जनवरी 2018 और 25 दिसम्बर 2018 को क्रमशः वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिये नई आबकारी नीति की घोषणा की। नीति, अन्य बातों के साथ, निर्धारित करती है कि भा0नि0वि0म0/ बीयर के लिये ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 की

लागत निर्धारण के लिए कास्ट एकाउन्टेन्ट (आसवनियों/ यवासवनियों द्वारा नियुक्त और भुगतान किये गये) द्वारा एक प्रमाणपत्र के साथ और एक शपथपत्र यह प्रमाणित करते हुये कि ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 पडोसी राज्यों में अनुमन्य ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 के बराबर या उससे कम है, प्रस्तुत करना होगा। गलत शपथपत्रों के परिणामस्वरूप कथित भा0नि0वि0म0/ बीयर[19] के ब्राण्ड पंजीकरण को रद्द कर दिया जायेगा। समापन गोष्ठी में, विभाग ने आगे कहा कि आगामी आबकारी नीति में शास्ति का आवश्यक प्रावधान होगा। 2019–20 के लिये आबकारी नीति में भा0नि0वि0म0 के अधिक ई0डी0पी0 की वसूली के मामले में ₹ एक लाख की प्रतिभूति को जब्त करने के प्रावधान लागू किये जायेंगे।

हालाँकि लेखापरीक्षा इस बात से सहमत है कि यदि नीति लागू की जाती, तो लागू होने पर, राज्य में अनुपालन के स्तर में सुधार होगा, प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिये कुछ राज्यों में लागू सर्वोत्तम कार्य व्यवहार की जाँच के बाद विभाग द्वारा बेहतर नियंत्रण को संरचित किये जाने की आवश्यकता है।

संस्तुतियाँ:

- **विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाई गयी नीतियों और प्रक्रियाओं की तुलना के द्वारा भा0नि0वि0म0 और बीयर के एक्स–डिस्टिलरी/ एक्स–ब्रिवरी प्राइस को विनियमित करने के लिये विशिष्ट उपायों और उपयुक्त प्रावधानों को भविष्य में आबकारी नीतियों में शामिल किया जा सकता है।**
- **नमूना जाँच की गयी आसवनियों/ यवासवनियों द्वारा विक्रीत भा0नि0वि0म0/ बीयर के समरुप/समान ब्राण्डों के अधिक ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 के कारण आसवकों/ यवासवकों, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के अनुचित लाभ की गणना लेखापरीक्षा द्वारा की गयी थी। विभाग को गहन जाँच के माध्यम से वास्तविक धनराशि का आकलन करने की आवश्यकता है और राज्य के राजकोष की कीमत पर आसवकों/ यवासवकों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को अनुचित लाभ अनुमन्य करने के लिये जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी निश्चित की जानी चाहिये।**

4.2 भा0नि0वि0म0 की छोटी बोतलों की ई0डी0पी0, थोक एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन एवं अधिकतम थोक बिक्री मूल्य की गलत गणना के कारण अतिरिक्त आबकारी शुल्क की हानि

भा0नि0वि0म0 के अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा वर्षवार निर्गत आबकारी नीति में प्रावधानित सूत्रों के अनुसार किया जाता है। एम0आर0पी0 के विभिन्न घटकों (ई0डी0पी0, ईडी, थोक एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन, अतिरिक्त आबकारी शुल्क) के किसी भी स्तर पर गणना/ जोड़ने में हुयी अनियमितता से एमएसपी का अनियमित निर्धारण होता है जो कि आगे अतिरिक्त आबकारी शुल्क को प्रभावित करता है जो कि एमएसपी के अगले पाँच रुपये में राउन्डिग आफ होने से राजकोष में जमा हो जाती। अवलोकनों का विवरण नीचे दिया गया है:

[19] दिनांक 25 जनवरी 2018 को वर्ष 2018–19 के लिये सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश आबकारी नीति के पैरा नं0 2.5 का नोट ।

4.2.1 आसवनियों को अनुचित लाभ

वर्ष 2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान भा0नि0वि0म0 की छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गलत गणना के कारण आसवकों द्वारा भा0नि0वि0म0 की 208.61 करोड़ छोटी बोतलों की बिक्री पर ₹ 227.98 करोड़ अतिरिक्त आबकारी शुल्क कम आरोपित किया गया।

आबकारी नीति (2008–18) के अनुसार बोतलों में भा0नि0वि0म0 की वास्तविक मात्रा पर ई0डी0पी0 की गणना की जानी चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त आवश्यकता के विपरीत, आबकारी नीति के प्रावधानों की गलत व्याख्या करके, आसवकों द्वारा 187.50 एम0एल0 और 93.75 एम0एल0 पर ई0डी0पी0 की गणना का प्रस्ताव दिया जबकि आबकारी शुल्क की गणना वास्तविक बोतलों की धारिता क्रमशः 180 एम0एल0 एवं 90 एम0एल0 पर की गयी।

इस प्रथा का विस्तृत प्रभाव रहा क्योंकि इसने निजी आसवकों के लाभ को बढ़ा दिया और राजकोष को तदनुरूप अतिरिक्त आबकारी शुल्क से वंचित रखा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आसवकों द्वारा ई0डी0पी0 निश्चित करते समय जानबूझकर 180 एम0एल0 एवं 90 एम0एल0 बोतलों की ई0डी0पी0 की गलत गणना की गयी जिससे कि ₹ 227.98 करोड़ के अतिरिक्त आबकारी शुल्क (एईडी) का कम संग्रहण हुआ।

पाँच ब्राण्डों से सम्बन्धित 180 एम0एल0 एवं 90 एम0एल0 की बोतलों के मामले में इस प्रकार के हेरफेर के निदर्शी उदाहरण नीचे **तालिका–4.17** में दिये गये हैं।

तालिका–4.17

(₹ में)

वर्ष	आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम	प्रेक्षण	धारिता एम0 एल0 में	ई0डी0 पी0 (प्रति बोतल)	आबकारी शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम विक्रय मूल्य (राउन्डिंग के पूर्व)	अधिकतम फुटकर मूल्य जो कि अगले पाँच रुपये में राउन्ड किया गया	देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क	निर्गत मात्रा बोतल में (करोड़ में)	अतिरिक्त आबकारी शुल्क (₹ करोड़ में)
2016–17	मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर	8 पी एम स्पेशल रेअर ब्लेण्ड ऑफ इण्डियन व्हीस्की एण्ड स्काच	आरोपित	180	24.35	57.32	1.37	16.81	99.85	100.00	0.15	5.41	0.81
			देय	**180**	**23.37**	**57.32**	**1.37**	**16.81**	**98.87**	**100.00**	**1.13**	**5.41**	**6.11**
			कम आरोपित अतिरिक्त आबकारी शुल्क								**0.98**	**5.41**	**5.30**
2016–17	मेसर्स पर्नाड रिकार्ड इन्डिया प्रा0 लि0	सीग्राम रायल स्टैग रीजर्व व्हीस्की	आरोपित	180	42.83	81.72	1.83	19.57	145.95	150.00	4.05	2.61	10.57
			देय	**180**	**41.11**	**81.72**	**1.83**	**19.57**	**144.23**	**150.00**	**5.77**	**2.61**	**15.06**
			कम आरोपित अतिरिक्त आबकारी शुल्क								**1.72**	**2.61**	**4.49**
2016–17	मेसर्स यू एस एल मेरठ	रायल चैलेन्ज क्लासिक प्रीमियम व्हीस्की	आरोपित	180	42.83	81.72	1.83	19.57	145.95	150.00	4.05	1.83	7.41
			देय	**180**	**41.11**	**81.72**	**1.83**	**19.57**	**144.23**	**150.00**	**5.77**	**1.83**	**10.56**
			कम आरोपित अतिरिक्त आबकारी शुल्क								**1.72**	**1.83**	**3.15**
2015–16	मेसर्स यू एस एल मेरठ	मैकडावेल्स न 1 प्लैटीनम लक्जरी	आरोपित	90	19.75	58.10	0.93	11.22	90.00	90.00	0.00	0.32	0.00
			देय	**90**	**18.96**	**58.10**	**0.93**	**11.22**	**89.21**	**90.00**	**0.79**	**0.32**	**0.25**
			कम आरोपित अतिरिक्त आबकारी शुल्क								**0.79**	**0.32**	**0.25**
2015–16	मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर	एम 2 मैजिक मोमेण्ट रीमिक्स स्मूथ फ्लेवर्ड वोडका ग्रीन एपिल	आरोपित	90	19.75	58.10	0.93	11.22	90.00	90.00	0.00	0.18	0.00
			देय	**90**	**18.96**	**58.10**	**0.93**	**11.22**	**89.21**	**90.00**	**0.79**	**0.18**	**0.15**
			कम आरोपित अतिरिक्त आबकारी शुल्क								**0.79**	**0.18**	**0.15**

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

छोटी बोतलों के लिये ई0डी0पी0 की गणना में प्रणालीगत कमियों की प्रथा लेखापरीक्षा द्वारा 2008–09 से 2017–18 की अवधि के लिये नमूना जॉच किये गये सभी ब्राण्ड्स में **तालिका–4.18** में दिये विवरण के अनुसार पायी गयी।

तालिका–4.18

वर्ष	आसवक को अनुमन्य अतिरिक्त राशि की सीमा (₹ में)	आसवनियों द्वारा बेची गयी छोटी बोतलों (180/90 एम0एल0) की संख्या (बोतलें करोड़ में)	कम वसूल किया गया अतिरिक्त आबकारी शुल्क (₹ करोड़ में)
2008-09	0.30 से 2.61	11.19	6.05
2009-10	0.35 से 2.57	11.11	7.68
2010-11	0.30 से 1.75	13.97	9.76
2011-12	0.43 से 5.68	22.03	18.24
2012-13	0.50 से 10.54	24.24	23.94
2013-14	0.82 से 6.17	21.85	25.33
2014-15	0.34 से 9.71	20.54	24.86
2015-16	0.35 से 9.72	18.63	22.34
2016-17	0.46 से 9.72	26.96	38.25
2017-18	0.46 से 9.95	38.08	51.53
	0.30 से 10.54	**208.61**	**227.98**

इस प्रकार, सभी 180 एम0एल0 और 90 एम0एल0 की बोतलों में अतिरिक्त आबकारी शुल्क (एईडी) लगाने के बजाय आसवक के पक्ष में ई0डी0पी0[20] की अतिरिक्त राशि की अनुमति देकर विभाग ने अतिरिक्त आबकारी शुल्क के कम आरोपण की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप आसवनियों/ बाण्ड्स दोनों को भा0नि0वि0म0 की 208.61 करोड़ छोटी बोतलों की बिक्री पर ₹ 227.98 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जून 2018 एवं मार्च 2019)। समापन गोष्ठी (जुलाई 2018) के दौरान विभाग ने आश्वासन दिया कि आबकारी नीति में एक संशोधन के माध्यम से विसंगतियों को दूर किया जायेगा। परन्तु इस अनियमितता के कारण अतिरिक्त आबकारी शुल्क की हानि के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जो कि राजकोष को अन्यथा प्राप्त हो सकता था।

संस्तुतिः

विभाग को 2008–18 की अवधि के लिए ₹ 227.98 करोड़ की अतिरिक्त आबकारी शुल्क की हानि को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 39 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ई0डी0पी0 और आबकारी शुल्क की गणना समान मात्रा पर हो।

4.2.2 छोटी बोतलों की सवंर्धित ई0डी0पी0 के आधार पर थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन की गलत गणना

लेखापरीक्षा ने आबकारी आयुक्त कार्यालय में और उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित आसवनी और बाण्ड्स में वर्ष 2008–13 के लिए आबकारी नीतियों और मूल्य निर्धारण की जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि थोक और फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन में 375 एम0एल0, 180 एम0एल0 और 90 एम0एल0 की भा0नि0वि0म0 की बोतलों की गणना सामान्य

[20] 180 एम0एल0 और 90 एम0एल0 के बजाय 187.50 एम0एल0 और 93.75 एम0एल0 की ई0डी0पी0 की गणना।

ई0डी0पी0[21] के बजाय सवंर्धित ई0डी0पी0[22] के आधार पर की गयी थी। हालांकि, आबकारी शुल्क की गणना केवल सामान्य ई0डी0पी0 के आधार पर की गयी थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विभाग द्वारा भा0नि0वि0म0 की छोटी बोतलों के मामले में थोक और फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन की गणना, नीति के प्रावधानों के अनुसार मार्जिन से अधिक की गयी थी।

भा0नि0वि0म0 के विभिन्न ब्राण्डों की छोटी बोतलों के एम0आर0पी0 के निर्धारण में की गयी गलत गणना की प्रणालीगत कमियों को 2008–13 के दौरान देखा गया था। विभाग द्वारा गलत गणना का विवरण **तालिका–4.19** में दिया गया है।

तालिका–4.19

वर्ष	थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को अनुमन्य की गयी अतिरिक्त राशि की सीमा(₹ में)	आसवनियों द्वारा विक्रीत बोतलों की संख्या (बोतल करोड़ में)	कम वसूला गया अतिरिक्त आबकारी शुल्क (₹ करोड़ में)
2008–09	0.52 से 2.18	13.88	20.29
2009–10	0.60 से 1.86	14.09	23.08
2010–11	0.82 से 1.86	17.79	28.85
2011–12	0.45 से 2.06	24.16	37.58
2012–13	0.45 से 3.06	28.42	45.20
योग	**0.45 से 3.06**	**98.33**	**155.00**

इसके परिणामस्वरूप, आसवनियों/ बाण्ड्स को भा0नि0वि0म0 के विभिन्न ब्राण्डों की 98.33 करोड़ छोटी बोतलों की बिक्री पर उच्च मार्जिन के कारण ₹ 155.00 करोड़ का अनुचित अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ। 2013–14 से लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी विसंगतियां नहीं पायी गयी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को प्रतिवेदित किया (जून, 2018 एवं मार्च 2019)। समापन गोष्ठी में, विभाग ने बताया (जुलाई, 2018) कि यह अनियमितता वर्ष 2013–14 से सुधार दी गयी थी। परन्तु अतिरिक्त आबकारी शुल्क की हानि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया, जो अन्यथा राज्य के राजकोष में जमा हो सकता था।

संस्तुतिः

विभाग को उस राशि की वसूली करनी चाहिए, जो अनियमित रूप से थोक एवं फुटकर विक्रेताओं दोनों को छोटी बोतलों की सवंर्धित ई0डी0पी0 के कारण मार्जिन के रूप में दी गयी थी।

[21] छोटी बोतलों के लिए ई0डी0पी0 पर अतिरिक्त लागत की अनुमति देने के बाद।

[22] छोटी बोतलों के लिए ई0डी0पी0 पर अतिरिक्त लागत की अनुमति के बिना।

4.2.3 अधिकतम थोक मूल्य (एम0डब्ल्यू0पी0) की गलत गणना करने के कारण अतिरिक्त आबकारी शुल्क का कम आरोपण

4.2.3.1 भा0नि0वि0म0 के एम0डब्ल्यू0पी0 की गलत गणना

आसवक द्वारा भा0नि0वि0म0 के एम0डब्लयू0पी0 की गलत गणना के परिणामस्वरूप 97.15 लाख बोतलों पर वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 4.85 करोड़ के अतिरिक्त आबकारी शुल्क की कम वसूली।

मेसर्स वेव डिस्टिलरी एवं ब्रीवरीज लि0, अलीगढ़ द्वारा 2013–14 की अवधि में भा0नि0वि0म0 के तीन ब्राण्ड्स[23] की 180 एम0एल0 की बोतलों के अधिकतम थोक मूल्य की गलत गणना[24] की गयी और विभाग द्वारा भी इस त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सका, जैसा कि **तालिका–4.20** में वर्णित है। इसके फलस्वरुप, विभाग ₹ 4.99 प्रति बोतल, अतिरिक्त आबकारी शुल्क आरोपित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप अतिरिक्त आबकारी शुल्क के रूप में ₹ 4.85 करोड़ (97.15 लाख बोतलों के विक्रय पर) का कुल नुकसान हुआ।

तालिका–4.20

(₹ में)

	जैसा कि विभाग द्वारा आंकलित किया गया	**जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आंकलित किया गया**
ई0डी0पी0	23.86	23.86
आबकारी शुल्क	67.82	67.82
थोक विक्रेता का मार्जिन	1.47	1.47
अधिकतम थोक मूल्य (ई0डी0पी0 + आबकारी शुल्क + थोक विक्रेता का मार्जिन)	**93.14**	**93.15**
फुटकर विक्रेता का मार्जिन जो जोड़ा गया	16.86	16.86
कुल अधिकतम विक्रय मूल्य (1)	110.00	110.01
अधिकतम फुटकर मूल्य (अग्रेतर पाँच रुपये में राउन्डिगं करने पर) (2)	110.00	115.00
अतिरिक्त आबकारी शुल्क (2)–(1)	0	4.99

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग के अभिलेख।

विभाग ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2018) तथा बताया गया कि राउन्डिग आफ की वजह से यह त्रुटि हुयी है एवं यह आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किये जायेंगे।

4.2.3.2 छोटे पैक के ई0डी0पी0 की गलत गणना

लेखापरीक्षा ने आबकारी आयुक्त कार्यालय में और उत्तर प्रदेश की सम्बन्धित आसवनी में वर्ष 2008–09 के लिए आबकारी नीतियों और मूल्य निर्धारण पत्रावलियों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि आसवनियों द्वारा भा0नि0वि0म0 की 375 एम0एल0 और

[23] इवनिंग स्पेशल प्रीमियम व्हिस्की, रैफल्स मैच्योरड् एक्स एक्स एक्स रम, रैफल्स ग्रेन वोदका।

[24] अधिकतम थोक मूल्य की गणना करके विभाग को प्रस्तुत की जाती है और इन विवरणों की जाँच आबकारी विभाग में लाइसेंस सेक्शन के वरिष्ठ सहायक द्वारा की जाती है, जिसे संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, द्वारा सत्यापित किया जाता है और अंत में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

180 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गलत तरीके से गणना की गयी थी। विभाग तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा बिना त्रुटियों का पता लगाये और ठीक किये ही इसे मंजूरी दे दी गयी। परिणामस्वरूप, विभाग ₹ 22.85 करोड़ (5.62 करोड़ बोतलों के विक्रय पर) की सीमा तक अतिरिक्त आबकारी शुल्क आरोपित करनें में विफल रहा।

संस्तुतिः

राजस्व हानि के साथ गणना में त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भा0नि0वि0म0/ बीयर के मूल्य निर्धारण के विभिन्न घटकों के निर्धारण की प्रक्रिया पर विभाग को सख्त आंतरिक नियंत्रण अपनाने की आवश्यकता है, इस तरह की हानि की भरपाई के लिए आसवनी से राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

4.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0)/ बीयर के छोटे पैक के लिए बोतलों/ कैन, लेबल और पीपी (पिल्फर प्रूफ) कैप्स की अधिक अतिरिक्त लागतों को निर्धारित करके आसवनियों/ यवासवनियों को अनुचित लाभ

भा0नि0वि0म0/ बीयर के छोटे पैक के लिए बोतलों/ कैन, लेबलों और पीपी कैप्स की अधिक अतिरिक्त लागतों को निर्धारित करके आसवनियों/ यवासवनियों को अनुचित लाभ के लिए अनुमति देने के कारण 325.51 करोड़ बोतलों/ कैन की बिक्री पर ₹ 304.88 करोड़ की अधिक प्राप्ति हुयी।

2008–09 से 2017–18 की आबकारी नीतियों की जाँच पर लेखापरीक्षा ने देखा कि छोटे पैक में उपयोग किए जाने वाले बोतलों/ कैन, लेबलिंग और पीपी कैप[25] की अतिरिक्त इनपुट लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए क्रमशः आसवनी/ यवासवनी/ बाण्डस् के लिए छोटे पैक की ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 के फार्मूले को बदल दिया गया था। 2008–09 में पेश किये गये, नये फार्मूले के अनुसार भा0नि0वि0म0 के छोटे पैक्स की ई0डी0पी0 को 750 एम एल की ई0डी0पी0 में तीन से पाँच जोड़कर आई संख्या को 750 से विभाजित करके, पैकिंग की क्षमता द्वारा परिणाम को गुणा करके निर्धारित किया जाना था। वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक उपरोक्त दर को तीन से चार[26] और पाँच से छः[27] तक कर दिया गया। इसी प्रकार, बीयर की छोटी पैकिंग की ई0बी0पी0 को 650 एम0एल0 की ई0बी0पी0 में चार[28] से पाँच[29] जोड़कर आई संख्या को 650 से विभाजित करना और फिर बोतल के रूप में विक्रीत छोटे पैक की क्षमता से परिणाम गुणा करके निर्धारित करना था। बीयर के कैन के रूप में बेचे जाने वाले छोटे पैक की ई0बी0पी0 के मामले में, 650 एम0एल0 की ई0बी0पी0 को 650 से विभाजित करके, फिर पैक की क्षमता से परिणाम को गुणा करके और फिर क्रमशः 330 एम0एल0 पैक और 500 एम एल पैक के लिए चार और पाँच जोड़कर तय किया गया।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2008–09 के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा प्रमुख सचिव को अग्रेषित आबकारी नीति के मसौदे में पहले दो प्रस्तावों[30] में आसवनियों को छोटे पैक के लिए किसी भी अतिरिक्त इनपुट लागत के मुआवजे का कोई प्रावधान शामिल नहीं

---

25 पिलफर प्रूफ कैप।

26 375 एम0एल0 की क्षमता के लिए।

27 375 एम0एल0 से कम क्षमता के छोटे पैक।

28 500 एम0एल0 से कम क्षमता के छोटे पैक।

29 500 एम0एल0 क्षमता के छोटे पैक।

30 जी–274/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 07 दिसम्बर 2007 एवं जी–280/दस–लाइसेंस–367 (खण्ड–3)/सुझाव आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 18 दिसम्बर 2007।

था। हालांकि, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रमुख सचिव (आबकारी) को भेजे गये (25 फरवरी 2008) तीसरे प्रस्ताव में भा0नि0वि0म0 के छोटे पैक की ई0डी0पी0 में अतिरिक्त इनपुट लागत को शामिल करने की अनुमति देने का प्रावधान शामिल था। नीति के अनुमोदन के लिए लाये गये मसौदा प्रस्ताव के चरण अथवा कैबिनेट नोट में बाद के समावेश के लिए कोई औचित्य नहीं पाया गया।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018–19 के लिए आबकारी नीति में, भा0नि0वि0म0 और बीयर की छोटी बोतलों की बोतलों, लेबलों और पीपी कैप्स की इन अतिरिक्त इनपुट लागतों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान सभी इनपुट कीमतें बढ़ने के बावजूद, घटाकर ₹ दो[31] और ₹ तीन[32] कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन अतिरिक्त इनपुट लागतों को आबकारी नीति 2019–20 में समाप्त कर दिया गया। यह लेखापरीक्षा की राय को मजबूत करता है कि अतिरिक्त इनपुट लागतों की भरपाई के लिए प्रति यूनिट मूल्य मनमाने ढंग से तय किए गये थे और सम्भवतः 2008–09 से 2017–18 के दौरान अधिक स्तर पर थे। यह प्रावधान अन्य राज्यों[33] की आबकारी नीतियों में भी उपलब्ध नहीं था।

भा0नि0वि0म0 / बीयर के छोटे पैक की ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 पर इस मूल्य निर्धारण का प्रभाव निम्नलिखित प्रस्तरों में सामने लाया गया है।

4.3.1 भा0नि0वि0म0 के छोटे पैक का ई0डी0पी0 पर प्रभाव

लेखापरीक्षा ने 2008–09 से 2017–18 तक की आबकारी नीतियों और सम्बन्धित मूल्य निर्धारण पत्रावलियों की जाँच प्रमुख सचिव आबकारी एवं आबकारी आयुक्त के कार्यालय में तथा सम्बन्धित आसवनी / बाण्डस् में की जिसमें 2008–09 से 2017–18 के दौरान भा0नि0वि0म0 की निकासी का विवरण भी सम्मिलित है।

एक दृष्टांत के रूप में, वर्ष 2012–13 के दौरान एक आसवनी अर्थात मेसर्स पर्नाड रिकार्ड इंडिया लिमिटेड (दौराला आसवनी, मेरठ का एफएल 3ए लाइसेंसधारी) द्वारा जारी किये गये छोटे पैक्स के लिए अतिरिक्त इनपुट लागत की प्रतिपूर्ति के प्रावधान का प्रभाव **तालिका–4.21** में दर्शाया गया है।

[31] 375 मिली0 क्षमता के लिए।
[32] 375 मिली0 से कम क्षमता के छोटे पैक।
[33] हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश।

तालिका–4.21

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के छोटे पैक्स के लिए बोतलों, लेबलों और पीपी (पिल्फर प्रूफ) कैप्स की अधिक अतिरिक्त लागतों को निर्धारित करने का विवरण

(₹ में)

बोतलों की धारिता (एम0 एल0 में)	वर्ष के दौरान निर्गत की गयी पेटीं[34] की संख्या (पेटी में)	छोटी बोतलों के लेबल और पीपी कैप की अतिरिक्त लागत	ई0डी0पी0 में जोड़ी गयी अतिरिक्त शुल्क की आनुपातिक राशि	छोटे पैक पर आसवनी द्वारा वसूल की गयी धनराशि	2018–19 की नीति के अनुसार छोटी बोतलों के लेबल और पीपी कैप की अतिरिक्त लागत	ई0डी0पी0 में जोड़ी गयी अतिरिक्त शुल्क की आनुपातिक राशि	2018–19 की आबकारी नीति के अनुसार देय राशि	छोटी बोतलों पर पीपी कैप तथा लेबलों की अतिरिक्त ई0डी0पी0	पीपी कैप की अधिक आरोपण के कारण वसूल की गयी अतिरिक्त राशि
375	3,21,140	3.00	1.50	1,15,61,040	2.00	1.00	77,07,360	0.50	38,53,680
180	4,67,833	5.00	1.25	2,80,69,980	3.00	0.75	1,68,41,988	0.50	1,12,27,992
90	4,674	5.00	0.63[35]	2,80,440	3.00	0.38[36]	1,68,264	0.25	1,12,176
योग	**7,93,647**			**3,99,11,460**			**2,47,17,612**		**1,51,93,848**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अकेले 2012–13 में, उक्त आसवनी को अतिरिक्त इनपुट लागतों के कारण ₹ 1.52 करोड़ का लाभ हुआ, जिन्हें भा0नि0वि0म0 के छोटे पैक की ई0डी0पी0 के हिस्से के रूप में अनुमति दी गयी थी।

2008–09 से 2017–18 के दौरान, उत्तर प्रदेश में आसवनियों और बाण्ड्स ने अतिरिक्त इनपुट लागत के रूप में ₹ 376.50 करोड़ की राशि प्राप्त करते हुए राज्य में भा0नि0वि0म0 के 259.26 करोड़ छोटे पैक बेचे। यदि 2018–19 की कीमतों के आधार पर गणना की जाये तो यह लागत केवल ₹ 203.91 करोड़ होगी। इस प्रकार, नमूँना जाँच की गयी आसवनियों/ बाण्ड्स को, विभाग द्वारा ई0डी0पी0 के हिस्से के रूप में प्रति इकाई इनपुट लागतों के मनमाने ढंग से निर्धारण कर ई0डी0पी0 की अतिरिक्त राशि ₹ 172.59 करोड. को प्राप्त करने की अनुमति दी, जो आसवनियों/ बाण्ड्स को अनुचित लाभ देने के समान था।

4.3.2 बीयर के छोटे पैक का ई0बी0पी0 पर प्रभाव

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की आबकारी नीतियों और सम्बन्धित मूल्य निर्धारण पत्रावलियों की जाँच प्रमुख सचिव आबकारी एवं आबकारी आयुक्त के कार्यालय में तथा सम्बन्धित यवासवनी/ बाण्ड्स में की जिसमें बीयर की निकासी का विवरण भी सम्मिलित है। इसमें पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान उत्तर प्रदेश के यवासवनियों/ बाण्ड्स ने राज्य में बीयर के छोटे पैक की 66.25 करोड़ बोतलें बेचीं। 2016–17 के दौरान दो यवासवनियों, मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एवं ब्रीवरीज लिमिटेड, अलीगढ़ और मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरी लिमिटेड, उन्नाव द्वारा जारी किए गये छोटे पैक्स के लिए अतिरिक्त इनपुट लागत के मुआवजे के प्रावधान का प्रभाव **तालिका–4.22** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

---

[34] एक केस में 375 एम0एल0 की बोतलों की 24 बोतलें अथवा 180 एम0एल0 की 48 बोतलें अथवा 90 एम0एल0 की 96 बोतलें होती हैं।

[35] वास्तविक राशि 0.625 है और गणना इस पर आधारित है।

[36] वास्तविक राशि 0.375 है और गणना इस पर आधारित है।

तालिका–4.22

बीयर के छोटे पैक्स के लिए बोतल/कैन, लेबलों और पीपी (पिल्फर प्रूफ) कैप्स की अधिक अतिरिक्त लागतों को निर्धारित करने का विवरण

(₹ में)

पैक की धारिता	500 एम0एल0 की (*24) पेटी की संख्या	छोटे पैक की अतिरिक्त लागत	ई0बी0पी0 में जोड़ी गयी अतिरिक्त शुल्क की आनुपातिक राशि	ई0बी0पी0 में अतिरिक्त शुल्क की जोड़ी गयी कुल आनुपातिक राशि	2018–19 की नीति के अनुसार कैन, छोटे पैक की अतिरिक्त लागत	ई0बी0पी0 में जोड़ी गयी अतिरिक्त शुल्क की आनुपातिक राशि	2018–19 की आबकारी नीति के अनुसार ई0बी0पी0 में अतिरिक्त शुल्क की जोड़ी गयी की आनुपातिक राशि	छोटे पैक की अतिरिक्त ई0बी0पी0	छोटे पैक की दर में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वसूल की गयी राशि
500 एम0एल0 कैन[37]	55,09,558	5.00	5.00	66,11,46,960	3.00	3.00	39,66,88,176	2.00	26,44,58,784
330 एम0एल0 कैन[38]	17,811	4.00	4.00	17,09,856	2.00	2.00	8,54,928	2.00	8,54,928
330 एम0एल0 बोतल[39]	10,458	4.00	2.03	5,09,514	2.00	1.02[40]	2,54,845	1.02	2,54,845
योग	**55,37,827**			**66,33,66,330**			**39,77,97,949**		**26,55,68,557**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि केवल 2016–17 में, यवासवनियों को अतिरिक्त इनपुट लागतों के कारण ₹ 26.56 करोड़ रूपये का लाभ हुआ, जिन्हें बीयर के छोटे पैक की ई0बी0पी0 के हिस्से के रूप में अनुमति दी गयी थी।

2013–14 से 2017–18 के दौरान, उत्तर प्रदेश में यवासवनियों और बाण्ड्स ने अतिरिक्त इनपुट लागत के रूप में ₹ 330.37 करोड़ की राशि प्राप्त करते हुए राज्य में बीयर के 66.25 करोड़ छोटे पैक बेचे। यदि 2018–19 की कीमतों के आधार पर गणना की जाये तो यह लागत केवल ₹ 198.08 करोड़ होती। इस प्रकार, नमूँना जाँच की गयी यवासवनियों/ बाण्ड्स को विभाग द्वारा ई0बी0पी0 के हिस्से के रूप में प्रति इकाई इनपुट लागतों के मनमाने ढंग से निर्धारण कर ई0बी0पी0 की अतिरिक्त राशि ₹ 132.29 करोड़ को प्राप्त करने की अनुमति दी, जो यवासवनियों/ बाण्ड्स को अनुचित लाभ देने के समान था।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2018 एवं मार्च 2019)। समापन गोष्ठी (जुलाई 2018) के दौरान विभाग और शासन ने बताया कि यह राशि 2018–19 की आबकारी नीति में क्रमशः ₹ दो और ₹ तीन कर दी गयी है। शासन और विभाग ने आगे आश्वासन दिया कि यह राशि आगामी आबकारी नीति में और अधिक तार्किक तरीके से तय की जायेगी।

37 वेव डिस्टिलरीज एवं ब्रीवरीज लिमिटेड, अलीगढ।
38 वेव डिस्टिलरीज एवं ब्रीवरीज लिमिटेड, अलीगढ।
39 मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरी लिमिटेड, उन्नाव।
40 वास्तविक राशि 1.015 है और गणना इस पर आधारित है।